हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15-05-2025 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अतिम जमाबन्दी कन्क्लेव्स पर है। अतः पत्रावली मामिक कार्यवाही हेतु दिनांक 15-05-25 को पेश हो।

15-05-2025 पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण वकील उपस्थित प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस समाप्त पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 22-05-2025 को पेश हो।

22-05-25

दायरा दिनांक 23.07.2024

प्रार्थना पत्र संख्या 71/2024

बउनवान नरसी लाल वगै0 बनाम सम्पत बाई वगै0

पत्रावली आज निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थिगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर प्रार्थिगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन उपरान्त निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद विषयक आराजी वाके ग्राम नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। वाद विषयक आराजी प्रार्थिगण की पैतृक भूमि है जो प्रार्थिगण के पिता रामनारायण आ0 देवीराम के फौत होने से ना0सं0 404 दिनांक 15.03.2022 से वारिसान के नाम दर्ज हुई जिसमें अप्रार्थी सं 1 को प्रार्थिगण के मृतक भाई भजराम की बेवा के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रूप में राजस्व कर्मचारियों ने गलत दर्ज कर दिया है भजराम की मृत्यु दिनांक 18.12.2013 को हो चुकी है। भजराम की विवाहिता सम्पत बाई भजराम के जीवनकाल में करीब 28वर्ष पूर्व घर से भाग कर राजेन्द्र आ0 माधोलाल जाति मीणा निवासी ऐरिया गांव के साथ नाता विवाह करके ग्राम ऐरिया में निवास कर रही है। उक्त सम्पत बाई ने समाज के रिति रिवाज अनुसार करीब 28वर्ष पूर्व भजराम से तलाक लेकर राजेन्द्र के साथ निवास कर रही है तथा सम्पत बाई के राजेन्द्र से संतान भी है। अप्रार्थी सं 1 का कोई सरकोर नहीं है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने मृतक रामनारायण के विरासत में खुले नामा0 में गलत नाम दर्ज कर दिया जिसको प्रार्थिगण को राजस्व रिकार्ड से विलोपित करवाने का कानूनी हक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी सं 1 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा गलत प्रविष्टी का फायदा उठाकर भूमि को विक्रय करना चाहती है जिससे प्रार्थिगण को अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थिगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने प्रार्थिगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 का वाद विषयक आराजी में कोई हक अधिकार निहित नहीं है वह भजराम से तलाक लेकर राजेन्द्र के साथ निवास कर रही है तथा सम्पत बाई के राजेन्द्र से संतान भी है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

हमने प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं मनन किया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खतौनी संख्या 95 वाके ग्राम नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ में वाद विषयक आराजी कुल किता 9 कुल रकबा 4.09है0 में प्रार्थिगण के साथ अप्रार्थी सं 1 का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज है। ना0सं0 404 दिनांक 13.04.2022 से जर्ये विरासत प्रार्थिगण व अप्रार्थी सं 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अप्रार्थी सं 1 वर्तमान में वाद विषयक अराजी में 1/9 हिस्से की सहखातेदार कृषक है। प्रार्थिगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि अप्रार्थी सं 1 का उक्त भूमि में कोई सरकोर नहीं है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने मृतक रामनारायण के विरासत में खुले नामा0 में गलत नाम दर्ज कर दिया गया है जिसके संबंध में प्रार्थिगण द्वारा कानूनन उक्त तथाकथित गलत नामान्तकरण की अपील की जानी चाहिए थी किन्तु पत्रावली ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थिगण द्वारा तथाकथित गलत नामांतकरण की अपील पेश की हो। प्रार्थिगण द्वारा अप्रार्थी सं 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करवाने का अधिकार संबंधी तथ्य मूल वाद में वाद पत्र के समर्थन में अपने साक्ष्य से साबित किया जाना है वर्तमान अप्रार्थी सं 1 प्रश्नगत आराजी की सहखातेदार है जिसे प्रार्थिगण द्वारा अपने हक अधिकारों की मूल वाद में घोषणा कराए बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुल इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)